

प्रमाण पत्र
प्रादर्श-“स”

उप मंडल अभियंता भारत संचार निगम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ को ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु तहसील कोण्डागांव में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु ग्राम चिखलपुटी ख०नं० 1/24 रकबा 0.008 हे०, ख०नं० 1/20 रकबा 0.010 हे०, ग्राम दहिकोंगा ख०नं० 2/1क रकबा 0.005 हे०, 2/1क रकबा 0.002 हे० ग्राम दूधगांव ख०नं० 6/1,9,12,14 रकबा 0.030 हे० व 3/1 रकबा 0.009 हे० एवं ग्राम घोड़ागांव ख०नं० 271 रकबा 0.006 हे०, 277 रकबा 0.000 हे०, 325/1 रकबा 0.019 हे० कुल रकबा 0.089 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि कुल रकबा 0.089/ वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम चिखलपुटी, दहिकोंगा दूधगांव, घोड़ागांव तहसील कोण्डागांव में स्थित है। में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव चिखलपुटी दिनांक 06.02.2021, दुधगांव दिनांक 06.02.2021 घोड़ागांव 05.04.2021 दहिकोंगा 23.03.2021 (प्रादर्श-“ब”) द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव सरपंच ग्राम पंचायत चिखलपुटी दिनांक 06.02.2021, दुधगांव दिनांक 06.02.2021 घोड़ागांव 05.04.2021 दहिकोंगा 23.03.2021 के अध्यक्षता में हुई बैठक को आयोजित किया गया था, जिसमें 50 प्रतिशत सदस्यों उपस्थित थे, जिनका परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बताया गया है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति कोई नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे० मे०)
1	—	—	—

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव चिखलपुटी दिनांक 06.02.2021, दुधगांव दिनांक 06.02.2021 घोड़ागांव 05.04.2021 दहिकोंगा 23.03.2021 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 की धारा-3(1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा चिखलपुटी दिनांक 06.02.2021, दुधगांव दिनांक 06.02.2021 घोड़ागांव 05.04.2021 दहिकोंगा 23.03.2021 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम- 2006 की धारा-3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

कलक्टर
जिला कोण्डागांव (छगु.)

प्रमाण पत्र
प्रादर्श-“स”

उप मंडल अभियंता भारत संचार निगम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ को ऑटिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि व्यपवर्तन हेतु तहसील कोण्डागांव में स्थिति ग्राम कुम्हारपारा राजस्व वन भूमि ख0नं0 325/1 रकबा 0.007 हे0 के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

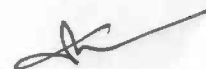
1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि खसरा नं. 325/1 रकबा 0.007 हे0 वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम कुम्हारपारा तहसील कोण्डागांव में स्थित है. में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है। ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 14.11.2022 (प्रादर्श-“ब”) द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव दिनांक 14.11.2022 को ग्राम सभा द्वारा चयनित सभापति श्री बुधनाथ नेताम की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया था, जिसमें 55 प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बताया गया है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति कोई नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0 मे0)
1	कुम्हारपारा	—	—

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 55 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14.11.2022 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 की धारा-3(1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा कुम्हारपारा दिनांक 14.11.2022 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम- 2006 की धारा-3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।



कलेक्टर
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

प्रमाण पत्र
प्रादर्श-“स”

उप मंडल अभियंता भारत संचार निगम लिमिटेड रायपुर छ0ग0 को ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु तहसील कोण्डागांव एवं माकड़ी अंतर्गत निम्न तालिका अनुसार :-

क्र	जिला का नाम	तहसील का नाम	वन भूमि का विवरण		
			वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	प्रस्तावित रकबा (हे.में.)
1	कोण्डागांव	कोण्डागांव	द. गोलावण्ड	RF 566	0.114
2	—”—	—”—	—”—	RF 568	0.058
3	—”—	—”—	—”—	RF 567	0.044
4	—”—	—”—	—”—	RF 569	0.081
5	—”—	—”—	चिलपुटी	PF 344	0.041
6	—”—	—”—	संबलपुर	PF 453	0.023
7	—”—	—”—	जामगांव	PF 519	0.022
8	—”—	—”—	—”—	PF 521	0.037
9	—”—	—”—	—”—	PF 524	0.025
10	—”—	—”—	संबलपुर	PF 448	0.025
11	—”—	—”—	—”—	PF 449	0.025
12	—”—	—”—	दहीकोंगा ई	OA 565 (930)	0.064
13	—”—	माकड़ी	माकड़ी	RF 151	0.073
14	—”—	—”—	—”—	RF 152	0.090
15	—”—	—”—	—”—	RF 106	0.054
16	—”—	—”—	—”—	RF 118	0.043
17	—”—	—”—	—”—	RF 163	0.032
18	—”—	—”—	—”—	RF 162	0.122
19	—”—	—”—	—”—	RF 221	0.117
20	—”—	—”—	—”—	RF 222	0.059
21	—”—	—”—	—”—	RF 166	0.080
22	—”—	—”—	—”—	RF 278	0.079
23	—”—	—”—	—”—	RF 270	0.058
24	—”—	—”—	—”—	RF 272	0.052
25	—”—	—”—	—”—	RF 266	0.047
26	—”—	माकड़ी	माकड़ी	RF 268	0.013
27	—”—	—”—	—”—	RF 265	0.036
28	—”—	—”—	—”—	RF 261	0.100
29	कोण्डागांव	—”—	—”—	RF 259	0.062
30	—”—	—”—	—”—	RF 260	0.005
31	—”—	—”—	—”—	RF 246	0.090
32	—”—	—”—	—”—	RF 247	0.045
33	—”—	—”—	—”—	RF 223	0.003
34	—”—	—”—	छोटे सलना	PF 101	0.017
35	—”—	—”—	शामपुर	PF 102	0.020
36	—”—	—”—	बीजापुर	PF 404	0.044
37	—”—	—”—	पोलकाबेड़ा	PF 410	0.055
38	—”—	—”—	बिंजोली	PF 418	0.036
39	—”—	—”—	सी.स.व.उत्तर बवई	OA 99 (657)	0.028
40	—”—	—”—	सी.स.व.दक्षिण बवई	OA 98(656)	0.014
				योग	2.033

वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा उपरोक्त तालिका अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि रकबा 2.033 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, जो तहसील कोण्डागांव एवं माकड़ी में स्थित है, में तदानुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति अनुभाग कोण्डागांव की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 17.04.2023 (प्रादर्श-ब) प्रदाय किया गया है।

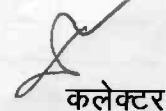
2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव दिनांक 17.04.2023 को अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति अनुभाग कोण्डागांव द्वारा बैठक किया गया था, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे, जिनका परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बताया गया है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति कोई नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की संख्या तहसीलवार निम्नानुसार है:-

क्रमांक	तहसील का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
01	कोण्डागांव	निरंक	निरंक
02	माकड़ी	निरंक	निरंक

3. प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति अनुभाग कोण्डागांव के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति अनुभाग कोण्डागांव के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17.04.2023 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (1) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति अनुभाग कोण्डागांव दिनांक 17.04.2023 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।



कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव(छ0ग0)